<u>न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - दिप्ती स्वामी RJS

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या - 523/2021 CIS No

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - 505/2020 पुलिस थाना प्रतापगढ

राजस्थान राज्य

बनाम

1- धनराज उर्फ धन्ना पुत्र देवीलाल,उम्र-30 वर्ष,

2- मनोहरलाल पुत्र देवीलाल, तत्समय उम्र-30 साल, निवासीयान पिण्डरी, थाना निकुंभ जिला चित्तौडगढ हाल जिला जैल प्रतापगढ(राज.)

- अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धारा-224,189,120 बी IPC एवं</u>

<u>धारा-42 कारागार(राजस्थान संशोधन),अधिनियम-2015</u>

उपस्थिति-

01- अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार पक्ष।

02- कला आर्य, अधिवक्ता-अभियुक्तगण पक्ष।

निर्णय **दिनांकः 08/07/2026**

1 यह आरोप-पत्र पुलिस थाना प्रतापगढ द्वारा जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा-224,189 एवं-120B एवं कारागार(राजस्थान संशोधन),अधिनियम-2015 की धारा-42 के अपराध में दिनांक-04/03/2021 को न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि

2 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक-03/12/2020 को लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 श्री प्रदीप लखावत अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागृह,प्रतापगढ के पत्रांक-कारा/स्था/2020/4799-4803 दिनांक-03/12/2020 के द्वारा मय बरामद सामग्री प्रदर्श पी-4 के हाल जेल प्रहरी बेल्ट नं-6311 श्री हिम्मत सिंह, जिला कारागृह प्रतापगढ के माध्यम से इस आशय की पुलिस थाना प्रतापगढ पर प्रस्तुत की गई कि जिला कारागृह प्रतापगढ पर दिनांक-03/12/2020 को समय सवा तीन बजे दिन में जरिये मुखबीर जानकारी मिली कि, जैल में निरूद्व बंदी-1 धनराज उर्फ धन्ना एवं 2-मनोहरलाल के द्वारा कारागृह से फरार होने के लिये कंबल की रस्सी तथा लोहे के पानी के पाईप हूक बनाकर तैयार कर रहे है, जिस पर RAC एवं जैल कार्मिकों द्वारा कारागृह में सघन तलाशी करवाई गई, जिस पर बैरक संख्या-7 के पीछे शौचालय की टंकियों के मध्य लगभग बीस फीट लम्बी मोटी कंबल को जोडकर बनायी गई रस्सी तथा जिस पर लोहे का पाईप नुकिला-1.6 फीट लम्बा छूपा कर रखा हुआ, जिस पर पुराने फटे कपडे डालकर ढका हुआ था, को बरामद किया

गया। तत्पश्चात् बंदी मनोहरलाल एवं धनराज उर्फ धन्ना को बुलाकर पूछने पर बंदियों द्वारा अनभिज्ञता प्रकट कर न्यायालय में झूंठे केस लगाकर व स्वयं द्वारा आत्म हत्या कर जैल कार्मिकों को झूंठा आरोप लगाने की धमकी दी गई, जिस पर उक्त दोनों बंदियों को सुरक्षा वार्ड में बंद कर बैरक संख्या-8 एवं-9 की तलाशी ली गई व जरिये मुखबीर के बंदी मनोहरलाल एवं धनराज उर्फ धन्ना द्वारा जैल से फरार होने के लिये किये जाने वाले एक मोबाईल मय एक सीम कार्ड जब्त किया गया। उक्त बंदियों के विरूद्व जैल से फरार होने के प्रयत्न और मोबाईल फोन सीम निषिद्व सामग्री के प्रयोग करने, डयूटी कार्मिकों को स्वयं(बंदी)को जख्मी कर आत्महत्या करने ी धमकी देने के प्रयास करने हेतु नामजद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कराने का निवेदन किया...वगैरह। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना प्रतापगढ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-505/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा-224,189 एवं-120B एवं कारागार(राजस्थान संशोधन), अधिनियम-2015 की धारा-42 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा-224,189 एवं-120B एवं कारागार(राजस्थान संशोधन)अधिनियम-2015 की धारा-42 में न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व प्रथम दृष्ट्या उक्त अपराध का मामला बनना पाये जाने पर उक्तानुसार-IPC की धारा-224, 189 एवं-120B एवं कारागार(राजस्थान संशोधन)अधिनियम-2015 कीधारा-42 में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3 बहस आरोप उभय पक्ष सुनी गई। दिनांक-07/01/2026 को अभियुक्त मनोहरलाल को धारा-धारा-42 कारागार(राजस्थान संशोधन),अधिनियम-2015 में पृथक से आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर इंकार कर अंवीक्षा चाही। दिनांकित-16/06/2022 को अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व IPC की धारा-224,189 एवं-120B एवं धारा-42 कारा गार(राजस्थान संशोधन),अधिनियम-2015 में आगे विचारण के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद होने से अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त धाराओ में संशोधित आरोप विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

4 अभियोजन पक्ष की और से मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी०ड० 1 हिम्मत सिंह,पी०ड० 2 राजेन्द्र कुमार,पी०ड० 3 जीवतराम,पी०ड० 4 अशोक पारीख, पी० ड० 5 अनिल कुमार,पी०ड० 6 दिलीप कुमार,पी०ड० 7 देदाराम,पी०ड० 8 प्रदीप लखावत, पी० ड० 9 बुद्वाराम एवं-पी०ड० 10 अम्बालाल को परीक्षित करा दस्तावेजी साक्ष्य में अभि-योजन पक्ष ने प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-19 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया।

5 अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल को दिनांक-23/04/2026 को CRPC-की धारा-313 के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने

विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6 उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण तलाशी वाले दिन किस बैरक में बंदी थे, इसकी कोई रिपोर्टपत्रावली में शामिल नहीं की गई है। जैल कार्मिकों में से किनकी डयूटी जैल के अंदर और बाहर तत्समय थी, इसका कोई रिकार्ड पत्रावली में शामिल नहींकिया गया है। सभी गवाहान ने जैल में CC TV कैमरे लगे होना बयानों में बताया है, किन्तु-CC TV फूटेज पत्रावली में शामिल नहीं किये गये है। जो एक मोबाईल बरामद हुआ है, वह किसी भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है। कंबल की जो रस्सी बरामद हुई है वह कंबल किस बंदी का था,इस बारे में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है,जबकि सभी बंदियों को एक जैसा कबंल हीजैल में उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में जो कंबल रस्सी बनाने में प्रयुक्त होकर बरामद हुआ वह दोनों अभियुक्तगण का होना प्रमाणित नहीं है। बरामद शुदा मोबाईल की CDR साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुई है। इस घटना से पहले भी अन्य बंदियों द्वारा जैल/बैरक की दीवार तौडने का मुकदमा दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन था एवं कंबल की रस्सी बनाकर भागने की तैयारी पूर्व प्रकरण के बंदियों द्वारा सुना कि इस प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा की गई। दोनों अभियुक्तगण को षडयन्त्र रचते हुए किसी भी जैल कार्मिक या अन्य बंदी द्वारा न तो देखा गया और ना ही ऐसी कोई बात सुनी गई है। अतःअभियुक्तगण को प्रकरण में झूंठा फंसाया है। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री अभियुक्तगण के भौतिक संज्ञान कब्जे से जब्त की गई हो ऐसा अभियोजन साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त गण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहर लाल को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करार दिया जावे।

7 इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः उन्हें आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करार दिया जावे।

8 उभय पक्षों के उक्त तर्को के परिपेक्ष्य में न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है कि-

1- क्या दिनांक-03/11/2020 को अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल अन्य आपराधिक प्रकरण में जिला कारागृह प्रतापगढ में विधिपूर्ण अभिरक्षा में निरूद्व थे,तत्समय अभियुक्तगण ने मिलकर विधि पूर्ण अभिरक्षा से नकल भागने हेतु आपराधिक षडयन्त्र की रचना की एवं उक्त दिनांक को करीबन-03.15PM जिला कारागृह,परिसर प्रतापगढ की तलाशी लेने पर अभियुक्तगण के कब्जे से एक बीस फीट लम्बी

मोटी कंबल को जोडकर बनायी गई रस्सी, जिस पर लोहे के पाईप नुकीला-1.6 फिट लम्बा लगा रखा था, बरामद हुई, जिनसे अभियुक्तगण कारागृह से फरार होने का प्रयास करने वाले थे तथा बैरक न-8 एवं-9 में अभियुक्तगण के कब्जे से एक मोबाईल व एक सीम कार्ड भी जब्त किया गया। अभियुक्तगण ने विधिपूर्ण अभिरक्षा में जिला कारागृह प्रताप गढ में निरूद्व होते हुए उक्त विधिपूर्ण अभिरक्षा का प्रतिरोध कर अभि रक्षा से निकल भागने का प्रयास किया एवं जब अभियुक्तगण को जिला कारागृह, प्रतापगढ में लोक सेवक कार्मिकों द्वारा कारागृह की सुरक्षा सेल संख्या-3 में डाला जा रहा था,तब अभियुक्तगण ने जैल कर्मियों मुख्य प्रहरी अनिल व प्रहरी राजेन्द्र व दिलीप को आत्महत्या करने की धमकी देकर उन्हें उनके लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन से प्रविरत् किया?

2- यदि अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध साबित पाया जाता है, तो अभियुक्तगण के लिये न्यायोचित दण्ड क्या होगा?

9 उक्त अवधारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य सामग्री का अवलोकन विश्लेषण करे तो अभियोजन पक्ष ने कुल दस साक्षीगण को परीक्षित कराया प्रकरण में परीक्षित साक्षी पी०ड० 1 हिम्मत सिंह ने मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-03/12/2020 को जैल अधीक्षक प्रदीप लखावत द्वारा जैल की तलाशी लेने पर निरूद्व बंदी धनराज उर्फ धन्ना व मनोहरलाल से कंबल की रस्सी व एक मोबाईल व सीम बरामद की गई। उसे अधीक्षक ने जब्त सामग्री व रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज हेतु दी। नक्शा मौका प्रदर्श पी-2,फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। जिरह में साक्षी ने कथन किया कि उसकी जैल के अंदर डयूटी नहीं लगती थी। जैल में मिलने का इन्द्राज वह करता था। यह सही है कि जैल के अंदर व बाहर-CC TV कैमरे लगे हुए है। उक्त घटना की जानकारी-CC TV कैमरे में आई हो तो उसे पता नहीं। यह सही है कि कोई भी बंदी जैल के अंदर दाखिल होता है तो जैल प्रहरी द्वारा तलाशी ली जाती है और अंदर गेट कीपर भी तलाशी लेता है।यह सही है कि वह तलाशी लेने अंदर नहीं गया था। बंदियों को जो कंबल दिया जाता है वो गिन कर दिया जाता है। धनराज व मनोहर से उसके सामने कोई सामन बरामद नहीं किया गया। इस घटना से पूर्व दो बंदियों ने जैल से फरार होने की कोशिश की और बैरिक की दीवार तौडकर बाहर आ गये थे। यह सही है कि जैल प्रहरी कांतिलाल के उपर भी जैल में अवैध सामग्री लाकर देने का प्रकरण इसी न्यायालय में चल रहा है।

10 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 2 राजेन्द्र कुमार जैल प्रहरी ने मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-03/12/2020 को जैल अधीक्षक प्रदीप लखावत के साथ वह जैल में तलाशी हेतु गया बैरिक नंबर-7 के उपर बाथरूम की टंकियों के मध्य तलाशी ली तो कंबल-20 फीट लम्बा, एक पाईप,

मोबाईल मिला। मोबाईल 8 एवं-9 नंबर के बैरिक के पीछे बाथरूम से मिला जो लेटरिंग की सीट के नीचे गडा हुआ था। अधीक्षक महोदय को मुखबीर सूचना मिली थी कि मनोहर व धनराज रस्सी बनाकर फरारी की तैयारी कर रहे है जिस पर तलाशी लेकर मोबाईल मय सीम जब्त की। दोनों को जब्त सामग्री के बारे में पूछा तो उन्होनें आत्महत्या करना कहा। नक्शा मौका प्रदर्श पी-2,फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी पक्षद्रोही होकर अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में इस तथ्य को गलत कहता है कि निषिद्व सामग्री उसके सामने थाने पर पेश की हो। साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी कहता है कि उसे जानकारी नहीं है कि जैल प्रहरी कांतिलाल के उपर अवैध सामग्री लाने का प्रकरण इस न्यायालय में चला हो। उसे यह भी जानकारी नहीं कि इस घटना से पूर्व दो बंदियों ने जैल से फरार होने की कोशिश की और बैरिक की दीवार तौडकर निकल गये हो उनका प्रकरण इस न्यायालय में लम्बित हो। यह सही है कि रस्सी टॉयलेट के उपर से बरामद की थी जहाँ कैमरे लगे हुए है। सभी बंदियों को एक जैसी कंबल गिन कर दी जाती है। धनराज एवं मनोहर बैरिक नं-9 में बंदी थे। रस्सी बरामद हुई वह बैरिक नं-7 के उपर बने लेटरिंग बाथरूम के उपर से बरामद हुई थी।

11 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 3 जीवतराम जैल प्रहरी ने मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-03/12/2020 को बैरिक नं-7 के उपर बाथरूम की टंकियों के मध्य तलाशी के दौरान-20 फीट लम्बा कम्बल एक पाईप व मोबाईल बैरिक नं-8 एवं-9 के पीछे बाथरूम से मिला। अधीक्षक महोदय को मुखबीर से सूचना मिली की मनोहर व धनराज रस्सी बनाकर फरारी की तैयारी कर रहे थे। जब्तशुदा सामग्री के बारे में पूछा तो उन्होनें आत्महत्या करना अभिकथित किया। साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी कहता है कि यह सही है कि जब वे तलाशी हेतु गये उस समय जो सामग्री जब्त हुई वह बाथरूम के उपर पडी थी। यह सही है कि कंबल काट कर बनाया हुआ था। यह सही है कि जैल की दीवार के उपर कंटीले तार व-CC TV केमरे लगे है। यह सही है कि तारों में करंट दौडता है। कंबल व मोबाईल के अलावा अन्य चीज बरामद नहीं हुई थी। यह सही है कि जैल में कैदियों को कंबंल जैल द्वारा दिये जाते है।

12 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 4 अशोक पारीख उप कारापाल ने सशपथ साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक-03/12/2020 को बंदी धनराज व मनोहर लाल की फरारी की योजना की मुखबीरी अधीक्षक महोदय को मिलने पर तलाशी के दौरान कंबल एक, पाईप नुकीला बैरिक नंबर-7 के पीछे शौचालय की छत पर बनी टंकी के बीच दस्तयाब हुआ। मोबाईल सेमसंग मय सीम कार्ड बैरिक नं-9 के पीछे बने शौचालय से मिला। साक्षी ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 पर सी से डी एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होना बताया। जिरह में साक्षी कहता है कि

यह सही है कि जैल के अंदर CC TV कैमरे लगे है। जैल बैरिक के बाहर जो गतिविधि होती है वह CCTV कैमरे में कैद होती है जिन्हें वे देखते है। यह सही है कि CCTV कैमरे में धनराज के पास रस्सी हो ऐसा नहीं देखा और-CC TV फूटेज पेश नहीं किये थे। यह सही है कि निषिद्व सामग्री अभियुक्तगण के आधिपत्य से नहीं मिली थी। निषिद्व सामग्री बैरिक नं-9 के पीछे शौचालय की सीट से मिली थी जिन्हें अभि-युक्त धनराज ने अपनी होना स्वीकार किया था। रस्सा बैरिक नं-7 के उपर शौचालय के वहाँ लावारिस मिला था। यह सही है कि जैल में जो कंबल दिये जाते है वो गिन कर दिये जाते है, जो एक जैसे होते है। कंबल पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं रहता है। राजेन्द्र व अनिल को सीढी से उपर चढाया जिन्होनें पहले रस्सा देखा था। टंकी के बीच रस्सा छिपा रखा था। यह सही हैकि इस घटना से पूर्व भी दो बंदियों ने जैल से फरार होने की कौशिश की जिनके विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया था। यह सही है कि अभियुक्तगण से कोई रस्सा बरामद नहीं हुआ था।

13 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 5 अनिल कुमार मुख्य प्रहरी ने सशपथ साक्ष्य में दिनांक-03/12/2020 को जिला कारागृह में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 प्रदीप लखावत द्वारा उनके सामने बनाना व ई से एफ हस्ताक्षर होना बताया। साक्षी ने जिरह में कथन किया कि जिस दिन प्रकरण बना उस दिन उसकी जैल के अंदर डयूटी नहीं थी। यह सही है कि जैल के अंदर-CC TV कैमरे लगे है जिनमें बंदी बाहर घूमते है तथा कोई भी गतिविधि करते है तो-CC TV LCD में दिखाई देते है यह सही है कि-CC TV में रस्सा बनाते हुए कोई भी बंदी नहीं आया था। प्रकरण के अंदर-CC TV कैमरे के फूटेज नहीं है। यह सही है कि अभियुक्तगण धनराज व मनोहर के कब्जे व आधिपत्य से रस्सा, लोहे का पाईप का हूंक बरामद नहीं हुआ था।

14 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 6 दिलीप कुमार प्रहरी ने सशपथ साक्ष्य में दिनांक-03/12/2020 को जिला कारागृह में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 पर जी से एच हस्ताक्षर होना बताया। साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी कहता है कि यह सही है कि जैल के अंदर-CC TV कैमरे लगे हुए है और इनकी LCD गेंट के अंदर लगी है। बंदियों के बाहर घूमने की गतिविधि-CC TV फूटेज में आती है।-CC TV फूटेज पत्रावली में हो इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से बरामदगी नहीं हुई थी। यह सही है कि जैल के अंदर चाहे कोई सरकारी या जैल कर्मचारी प्रवेश करे उसका रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है। जब्ती के समय कोई मोबाईल बरामद नहीं हुआ था।

15 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 7 देदाराम ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी कि दिनांक-11/12/2020 को थाना प्रतापगढ में कानि.66 पदस्थापित होना और प्र. सं.505/2020 में न्यायालय आदेश से जिला कारागृह प्रतमापगढ से प्रकरण हाजा के आरोपी बंदी धनराज उर्फ धन्ना व मनोहर लाल को अनुसंधान अधिकारी श्री बुद्वाराम उनि द्वारा उसके व कानि.महेन्द्र-27 के समक्ष गिरफ्तार करना फर्द गिरफ्तारी

प्रदर्श पी-5,6 पर ए से बी उसके व सी से डी महेन्द्र के हस्ताक्षर होना बताया। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में जाहिर किया कि जब वह गिरफ्तार करने गया तब जैल में उसकी तलाशी हुई थी।

16 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 8 प्रदीप लखावत अधीक्षक ने मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-03/12/2020 को मुखबीर की सूचना मिलने पर वह उप कारापाल अशोक कुमार, अनिल कुमार की तहरीर पर जैल के अंदर तैनात प्रहरी दिलीप कुमार व राजेन्द्र कुमार व RAC को साथ लेकर जैल से फरार होने की सामग्री की खोच की तो बैरिक नं-7 के लेटरिंग बाथरूम के ऊपर टंकियों के पास 20 फीट लम्बी कम्बल की रस्सी नुकीला पाईप मिला फिर बंदियों धनराज उर्फ धन्ना व मनोहरलाल से पूछा तो मना किया व फिर स्वयं को जख्मी करने व आत्महत्या की धमकी दी उन्हें सुरक्षा में बंद किया। बैरिक नं-8 व-9 की तलाशी ली तो बैरिक नं-9 में बने शौचालय के वहां गड्डा मिला साथ में मोबाईल सीम सैमसंग कीपेड वाला बरामद हुआ। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 बनायी, रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के साथ कानि. हिम्मत सिंह के साथ भेजी। नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 बनाया, कार्मिकों के नियुक्ति व पदस्थापन आदेश संबंधित प्रदर्श पी -8 से-11 प्रदर्श पी-12 की सत्यापित प्रति प्राप्त की। फर्दों पर अपने हस्ताक्षर बताये।साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी ने इस तथ्य को हसी कहा कि जैल के अंदर-CC TV कैमरे लगे हुए है और कार्यालय में-LED लगी हुई है। घटनास्थल शौचा लय होने से वहाँ-CC TV कैमरे लगे हुए नहीं थे। जो कंबल की रस्सी शौचालय के ऊपर छुपा रखी थी, बरामद हुई थी। मोबाईल शौचालय से बरामद हुआ था। वहाँ रस्सी गुढी हुई नहीं थी कंबल के लिये बना रखा था। जैल में बंदी को कंबल गिन कर दिया जाता है। जैल के अंदर जिनकी डयूटी लगती है उनका भी इन्द्राज होता है। घटना के समय अनिल जैल के अंदर था अन्य कार्मिक थे। राजेन्द्र कटारा व दिलीप शौचालय के फर्श के नीचे से मोबाईल ढूंढा था।

17 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 10 अम्बालाल कानि. ने मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-7/12/2020 को उप निरीक्षक बुद्वाराम ने प्र.सं.505/20 में जब्तशुदा आर्टिकल एक प्लास्टिक का कट्टा सीलचीट बंद मार्क ए व चीटचस्पा एक मोबाईल संभलाया जिसे मालखाना रजिस्टर क्रमांक-343 पर दर्ज कर सुरक्षित मालखाना रखा। मालखाना रजि. प्रदर्श पी-19 है,प्रति प्रदर्श पी-19 ए है। मालखाना कट्टा आर्टिकल एक है मोबाईल आर्टिकल दो है। साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी कहता है कि आर्टिकल कौनसी सील से सीलचिट किया ऐसा कोई हवाला प्रदर्श पी-19 में अंकित नहीं है। प्रदर्श पी-19 में आर्टिकल किसी के पास से जब्त किये गये ऐसा अंकन नहीं है। बुद्वाराम के कोई हस्ताक्षर प्रदर्श पी-19 पर अंकित नहीं है।

18 प्रकरण में परीक्षित अन्य साक्षी पी०ड० 9 बुद्वाराम ने मुख्य परीक्षण में इस आशय की साक्ष्य दी कि दिनांक-03/12/2020 को वह प्रतापगढ SI के पद पर तैनात था। उस दिन थानाधिकारी मदनलाल को लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1(सलंग्न प्रदर्श पी-4)प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर चाक FIR प्रदर्श पी-7 कता कर तफ्तीश उसे सुपुर्द की। उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 बाया। गवाहान के कहे अनुसार बयानात लिये फर्द पेशकशी प्रदर्श पी-3 बनाई,तहरीर प्रदर्श पी-14 जारी की, अभियुक्त मनोहर लाल व धनराज उर्फ धन्ना को प्रदर्श पी-5 एवं-6 से गिरफ्तार किया मोबाईल संबंधित कॉल डिटेल की जानकारी हेतु तहरीर प्रदर्श पी-16 जारी की, जैल अधीक्षक से अभियुक्तगण के जैल संबंधित रिकार्ड प्रदर्श पी-12 से-14 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। तहरीर प्रदर्श पी-18 कॉल डिटेल हेतु जारी की मालखाना नकल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। प्रार्थीगण के नियुक्ति व पदस्थापन आदेश प्रदर्श पी-8 से-11 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना बताया एवं कॉल डिटेल शामिल पत्रावली करना जाहिर किया। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्व जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चालान हेतु पत्रावली थाना अधिकारी को सुपुर्द की जिन्होनें चालान पेश किया। जिरह में साक्षी कहता है कि उसे जरिये फर्द पेशकशी प्रदर्श पी-3 से आर्टिकल्स मिले थे। यह सही है कि जैल के अंदर व बाहर-CC TV कैमरे लगे है। जैल के अंदर जब भी कोई जाता है तो उसकी जैल प्रहरियों द्वारा तलाशी ली जाती है। दौराने अनुसंधान उसका कोई-CC TV फूटेज देखने का काम नहीं पडा। दौराने अनुसंधान किसी ने धनराज एवं मनोहरलाल को मोबाईल उपयोग करते हुए या कंबल जौड कर रस्सियां बनाते हुए नहीं देखा। साक्षी ने जिरह में जाहिर किया कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि अभियुक्तगण को षडयन्त्र रचते हुए किसी ने देखा हो।

19 इस प्रकार अभियोजन की ओर से कुल दस साक्षीगण के बयानात लेख बद्व करवाये गये। प्रकरण में सर्वप्रथम FIR पेशकर्ता पी०ड० 1 हिम्मत सिंह ने जैल अधीक्षक प्रदीप लखावत के निर्देश पर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाने में दी थी। इस गवाह की केवल डाक ले जाने की ड्यूटी थी एवं रिपोर्ट पेश करना प्रमाणित करने के अतिरिक्त जैल के अंदर तलाशी या बरामदगी अथवा अन्य किसी तथ्य के संबंध में इस गवाह की साक्ष्य का औचित्य नहीं है। जैल अधीक्षक पी०ड० 8 प्रदीप लखावत की साक्ष्य का अवलोकन करे तो स्वयं घटना के दिन मुखबीर से सूचना मिलने पर जैल के अंदर औचक निरीक्षण एवं तलाशी कर वायी गई थी,जो उप-कारापाल अशोक कुमार, अनिल कुमार और जैल के अंदर तैनात प्रहरियों में से पी०ड० 2 राजेन्द्र एवं पी०ड० 6 दिलीप को साथ ले जाकर तलाशी कार्यवाही की तो बैरिक नं-7 के शौचालय की छत पर टंकी के पास बीस फीट लम्बी कंबल की बनी हुई रस्सी और एक नुकीला पाईप जो सरिये की तरह गोल मुंह बना कर जोडा गया, वह मिला था। उक्त तलाशी के संबंध में पी०ड० 4 अशोक, पी० ड० 5 अनिल, पी०ड० 2 राजेन्द्र एवं पी०ड० 6

दिलीप की साक्ष्य का अवलोकन करे तो उक्त साक्षीगण ने घटना की दिनांक को जैल प्रतापगढ पर कार्यरत रहते हुए अधीक्षक के निर्देश पर जैल के अंदर तलाशी लेने पर बैरिक नं-7 के पीछे शौचालय की टंकी के पीछे रखे हुए कंबल की रस्सी और पाईप बरामद किये थे। उक्त गवाहान के जैल में नियुक्ति एवं ड्यूटी बाबत् दस्तावेज के रूप में प्रदर्श पी-8,9,10 एवं-11 इत्यादि पेश हुए है।

20 जहाँ तक अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि जैल के अंदर प्रवेश करते हुए एवं बाहर निकलने वाले जैल कर्मियोंया किसी भी व्यक्ति के आने जाने के इन्द्राज बाबत् आवक जावक रजिस्टर की प्रति पत्रावली में शामिल नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि जैल अधीक्षक को मुखबीर की सूचना प्राप्त हुई थी एवं अचानक जैल की तलाशी लेनी थी। यदि तलाशी में विलम्ब होता तो अचानक तलाशी का उद्वेश्य विफल हो सकता था एवं इसी क्रम में तलाशी लेने हेतु जैल की जो टीम जैल के अंदर गई थी तो उसके द्वारा प्रवेश का इन्द्राज यदि नहीं भी किया गया था तो केवल इस आधार पर सम्पूर्ण तलाशी की कार्यवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क का कोई औचित्य नहीं है।

21 जैल की तलाशी के चारो ही गवाहान पी०ड० 4 अशोक, पी० ड० 5 अनिल, पी०ड० 2 राजेन्द्र एवं पी०ड० 6 दिलीप ने यह स्वीकार किया है कि जैल के अदंर बैरिक में-CC TV कैमरे लगे हुए थे। जैल बैरिक के बाहर की गतिविधियों-CC TV में कैद होती,परन्तु ऐसे कोई-CC TV फूटेज पत्रावली में शामिल नहीं किये गये है, जिसके संबंध में न्यायालय का मत है कि-CC TV कैमरे जैल के अंदर लगे हुए थे उन्हें पत्रावली में शामिल किया जाना चाहिए था एवं अधिवक्ता अभियुक्त का दौराने बहस तर्क भी रहा कि उक्त फूटेज पत्रावली में शामिल किया जाना चाहिए था जो अनुसंधान अधिकारी ने नहीं किया। किन्तु जैल अधीक्षक प्रदीप लखावत पी०ड० 8 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि घटनास्थल शौचालय होने से वहाँ-CC TV कैमरे नहीं लगे हुए थे। इस प्रकार शौचालय जैसे स्थान पर-CC TV कैमरे लगे हुए होने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, निजता की स्वतन्त्रता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शौचालय जैसे स्थान के-CC TV फूटेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जो कि पूर्णतया उचित है,ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क का भी कोई महत्व नहीं है।

22 उक्त तलाशी के पश्चात् तलाशी टीम द्वारा बैरिक नं-8 एवं-9 की तलाशी ली गई जिसके शौचालय की फर्श के नीचे दबा एक मोबाईल मय सीम बरामद की गई, जिसकी CDR प्राप्त करने का पत्र प्रदर्श पी-15,16,18 पत्रावली में शामिल है, किन्तु उक्त पत्र के अनुसरण में प्राप्त की गई CDR अनुसंधान अधिकारी ने साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाई है, जिससे बरामदशुदा मोबाईल मय सीम उक्त अभियुक्तगण द्वारा जैल में निषिद्व सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जाना प्रमाणित नहीं है एवं धारा-

42 कारागार(राजस्थान संशोधन)अधिनियम-2015 का अपराध अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व प्रमाणित नहीं पाया जाता है, किन्तु अचानक तलाशी के पश्चात् तलाशी टीम द्वारा जब अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो दोनों ने तलाशी टीम को धमकी दी और आत्महत्या की कौशिश कर न्यायालय में फंसाने हेतु भी जैल स्टॉफ को कहा गया, जिसकी पुष्टि तलाशी टीम के सभी सदस्यगण ने अपने अपने बयानों में पूर्ण रूप से की है जिससे धारा-189 भारतीय दंड संहिता का अपराध अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व संदेह से परे प्रमाणित होता है।

23 जहाँ तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध धारा-224 भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है? तो तलाशी के दौरान बीस फीट लम्बे कम्बल को काट कर बनाया गयी रस्सी बरामद हुई थी एवं सभी गवाहों से प्रतिपरीक्षण में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने सुझावात्मक प्रश्न किये जाने पर जवाब में सभी निरूद्व बंदियों को एक समान कंबंल गिन कर दिये जाना जैल कर्मियों द्वारा बताया गया। चूंकि कंबलो पर बंदियों को वितरित किये जाने का कोई विशिष्ट चिन्ह्र अंकित नहीं किया जाता है परन्तु सभी बंदियों को एक समान एक जैसा कंबल वितरित किये जाना स्वयं अभियुक्तगण ने भी उक्त सुझावात्मक प्रश्न में स्वीकार किया है। जिसके संबंध में न्यायालय का मत है कि सर्दी के मौसम में यदि अभियुक्तगण के अतिरिक्त किसी अन्य बंदी को वितरित किया गया कंबल गायब होता है या नहीं मिलता है तब इसकी जानकारी बंदियों द्वारा संबंधित बैरिक के प्रहरिया जैल कार्मिक या मुख्य प्रहरी को अवश्य दी जाती है, ऐसी कोई जानकारी जैल अधीक्षक या मुख्य प्रहरी को किसी भी बंदी द्वारा नहीं दी गई। अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, जिससे यह उप-धारणा प्रबल होती कि जिस कंबलों को काट कर रस्सी बनाया गया था,वह कंबल दोनों अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहर लाल का ही कंबल था, जिन्होनें कंबल की रस्सी बनाकर शौचालय की दीवार के पीछे से फरार होने की तैयारी के क्रम में रखा था। यद्यपि वे भागने में सफल नही हो पाये। प्रदर्श पी-14, प्रदर्श पी-5 एवं-6 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से यह साबित है कि दोनों अभियुक्तगण पूर्व में एक ही प्रकरण संख्या-88/16 पुलिस थाना निकुम्भ जिला चित्तौडगढ में जैल में निरूद्व थे, तथा दोनों ने कंबल से रस्सी बनाई गई थी,क्योंकि बीस फीट लम्बी रस्सी एक ही कम्बल से बनना संभव नहीं है, जिससे भी यह साबित होता है कि दोनों अभियुक्तगण पहले से एक ही प्रकरण में बंदी थे व दोनों ने कम्बल काट कर रस्सीबनाकर जैल से भागने का षडयन्त्र रचकर धारा-120 बी भारतीय दंड संहिता का अपराध कारित किया। अतः धारा-224/120 बी भारतीय दंड संहिता का अपराध अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के विरूद्व संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है।

24 इस प्रकार समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से यह तथ्य साबित नहीं है कि दिनांक-03/11/2020 को समय-03.15PM जिला कारागृह, प्रतापगढ़ की तलाशी के दौरान जो मोबाइल, सीम बरामद हुई, वह अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल के कब्जे से बरामद हुई हो इस तथ्य की स्वयं परिवादी व अन्य बरामदगी मौका कार्यवाही के साक्षीगण अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त सामग्री बरामद होने की पुष्टि नहीं करते हैं। इसके अलावा अनुसंधान अधिकारी ने जिन साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को अभियुक्तगण माना है, उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से उनका अभियुक्त या बरामद-शुदा मोबाइल, सीम आदि से कोई सम्बन्ध हो, यह तथ्य साबित नहीं हो पाया है। अतः अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल को कारागार (राजस्थान संशोधन)अधिनियम-2015 की धारा-42 के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है। परन्तु अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व यह तथ्य युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि उक्त दिनांक-03/11/2020 को अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल अन्य आपराधिक प्रकरण में जिला कारागृह प्रतापगढ में विधिपूर्ण अभिरक्षा में निरूद्व होते हुए तत्समय अभि-युक्तगण ने मिलकर विधि पूर्ण अभिरक्षा से नकल भागने हेतु आपरा-धिक षडयन्त्र की रचना की एवं उक्त दिनांक को करीबन-03.15PM जिला कारागृह, परिसर प्रतापगढ की तलाशी लेने पर अभियुक्तगण के कब्जे से एक-20 फीट लम्बी मोटी कंबल को जोडकर बनायी गई रस्सी, जिस पर लोहे के पाईप नुकीला-1.6 फिट लम्बा लगा रखा था, बरामद हुई, जिनसे अभियुक्तगण करागृह से फरार होने का प्रयास करने वाले थे। अभियुक्तगण ने विधिपूर्ण अभिरक्षा में जिला कारागृह प्रताप गढ में निरूद्व होते हुए उक्त विधिपूर्ण अभिरक्षा का प्रतिरोध कर अभि रक्षा से निकल भागने का प्रयास किया एवं जब अभियुक्तगण को जिला कारागृह, प्रतापगढ में लोक सेवक कार्मिकों द्वारा कारागृह की सुरक्षा सेल संख्या-3 में डाला जा रहा था, तब अभियुक्तगण ने जैल कर्मियों मुख्य प्रहरी अनिल व प्रहरी राजेन्द्र व दिलीप को आत्महत्या करने की धमकी देकर उन्हें उनके लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन से प्रविरत् किया। अतः अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल को धारा-189,224/120 बी भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषसिद्व किये जाने योग्य पाये जाते है।

--आदेश--

25 फलतः अभियुक्तगण (1)धनराज उर्फ धन्ना पुत्र देवीलाल,उम्र-30 वर्ष, एवं- (2)मनोहरलाल पुत्र देवीलाल, तत्समय उम्र-30 साल, निवासीयान पिण्डरी, थाना निकुंभ,जिला चित्तौडगढ,हाल जिला जैल प्रतापगढ(राज.)को कारागार(राजस्थान संशो-धन) अधिनियम-2015 की धारा-42 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है,परन्तु अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 189, 224/120 बी भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषसिद्व किया जाता है। अभि

युक्तगण के पूर्व प्रस्तुतशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

<u>26 सजा के प्रश्न पर सुना गया।</u>

विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब मजदूरी पेशा अशिक्षित व्यक्ति है। सन्-2021 से अंवीक्षा भुगत रहे है। उनके अभिरक्षा में निरूद्व होने से उनके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः अभियुक्त गण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने जिला कारागृह में निरूद्व रहते हुए आरोपित अपराध कारित किया है। अतःअभियुक्तगण को आरोपित अपराध में कठोर दंड से दंडित किया जावे।

27 उभय पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त को आरोपित अपराध तहत धारा-189,224,120 बी भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्व किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा जिला कारागृह प्रतापगढ में निरूद्व रहते हुए उक्त अपराध कारित किया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अभियुक्तगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का है, जिस कारण अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्ति का हकदार नहीं है।

न्यायिक विनिश्चय **माननीय उच्चतम न्यायालय 2005** Cr.L.R. **(**S.C.**) 127 उत्तर प्रदेश बनाम श्री कृष्णा** के मामले में यह मत प्रतिपादित किया कि आरोपी का अपराध की गंभीरता के अनुपात में उचित सजा नहीं दिये जाने से न केवल न्याय व्यवस्था को नुकसान पहूंचेगा बल्कि कानून पर आमजन का विश्वास कम होगा। समाज के संरक्षण के साथ ही उसमें मौजूद आपराधिक तत्वों का सफाया करना भी कानून का एक मकसद होना चाहिए।

न्यायिक विनिश्चय **माननीय उच्चतम न्यायालय** cr. Appeal No. **1887 / 2008 राजस्थान राज्य बनाम विनोद कुमार** के मामले में अपने आदेश दिनांकित-18/05/2012 के मद संख्या-20 में यह मत प्रतिपादित किया कि सजा हमेशा अपराध की गंभीरता के हिसाब से दी जानी चाहिए। आरोपी या पीडित के धर्म,नस्ल, जाति, आर्थिक या सामाजिक स्थिति उसकी सजा की अवधि तय करने का कारण नहीं हो सकती है। ऐसे में यदि अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाये तो इस तरह की घटनाओं में अभिवृद्वि होगी व आमजन अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा व अपराधियों के हौसलं बुलन्द होगें।

28 अतः प्रकरण के तथ्यों,परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को कारावास के दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों,परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दंडादिष्ट किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश::

29 अभियुक्तगण(1)धनराज उर्फ धन्ना पुत्र देवीलाल,उम्र-30 वर्ष, एवं-(2)मनोहरलाल पुत्र देवीलाल,तत्समय उम्र-30 साल, निवासीयान पिण्डरी, थाना निकुंभ जिला चित्तौडगढ हाल जिला जैल प्रतापगढ(राज.) को भारतीय दंड संहिता की धारा-189,224,120 बी भारतीय दंड संहिता के आरोपों में दोषसिद्दि उपरान्त निम्नानुसार दंडित किया जाता है-

प्रत्येक अभियुक्त को धारा-189 भारतीय दंड संहिता के आरोप हेतु-06 माह का साधारण कारावास एवं-**₹**-250/-अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त-10 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगें।

प्रत्येक अभियुक्त को धारा-224/120 बी भारतीय दंड संहिता के आरोप हेतु-06 माह का साधारण कारावास एवं-**₹**-250/-अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त-105 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगें।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई समयावधि को उसे सुनाई गई मूल सजा में समायेाजित की जावे। अभियुक्तगण का सजा वारंट मुर्तिब हो।

30 प्रकरण में फर्द पेशकशी एवं जब्ती प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 में अंकित आर्टिकल्स नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील/अपील न होने पर नष्ट किये जावे।

31 अभियुक्तगण धनराज उर्फ धन्ना एवं मनोहरलाल द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व प्रस्तुतशुदा जमानत मुचलके मय शपथ-पत्र माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ धारा-481 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आगामी छः माह की अवधि के लिए विस्तारित किये जाते हैं।

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)

32 निर्णय आज दिनांक-08/07/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुनाया गया।

Digitally signed by
PRAVEEN JOSHI
Date: 2026.07.09
17:03:20 +0530

(दिप्ती स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ (राज.)